राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या:- 5466/2022

सुमन प्रकाश शर्मा एवं अन्य

–अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये संभागीय आयुक्त, जयपुर संभाग, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 18.10.2022
आदेश की दिनांक : 08.06.2023

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी की ओर से श्री रोहित तिवारी, अधिवक्ता उपस्थित, प्रत्यर्थी विभाग की ओर से अधिवक्ता श्री हेमन्त धारीवाल उपस्थित। प्रार्थीगण उमाकान्त और ओमप्रकाश मीणा की ओर से अधिवक्ता श्री सुखराज राठौड़ उपस्थित। प्रार्थीगण गोपाल लाल मीणा, मदन लाल मीणा व रामकिशन मीणा की ओर से श्री तनवीर अहमव उपस्थित।

2. इस प्रकरण में प्रत्यर्थीगण गोपाल लाल मीणा व अन्य की ओर से पक्षकार जोड़े जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रार्थना पत्र पर पक्षकारों को सुना गया। प्रत्यर्थीगण गोपाल लाल मीणा व अन्य की ओर से श्री तनवीर अहमद, अधिवक्ता का कथन है कि प्रत्यर्थीगण गोपाल लाल मीणा, मदनलाल मीणा व रामकिशन मीणा वर्ष 2015-16 व 2016-17 की रिक्तियों के विरुद्ध इनको पदोन्नति प्रदान की गई थी। वर्तमान में उनकी रिव्यू डीपीसी की गई, जिसमें उनकी रिक्ति वर्ष में परिवर्तन किया गया। वर्तमान में पुनः रिव्यू डीपीसी की जा रही है। जिस कारण से वर्तमान प्रार्थीगण इस प्रकरण में आवश्यक पक्षकार है, क्योंकि उनकी रिक्तियों के संबंध में ही रिव्यू डीपीसी की जा रही है। अपीलार्थी की ओर

से अधिवक्ता श्री रोहित तिवारी का कथन है कि वर्तमान में जो पुनः रिव्यु डीपीसी की जा रही है, उसमें प्रार्थीगण यह स्पष्ट नहीं कर सकें हैं कि वो किस प्रकार प्रभावित होंगे। ऐसे में उन्हें पक्षकार जोड़े जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

3. हमनें दोनों पक्षों द्वारा दिये गए तर्कों पर विचार किया। वर्तमान में गोपाल लाल मीणा, मदनलाल मीणा व रामकिशन मीणा को पूर्व में रिक्तियों के विरुद्ध पदोन्नति दी गई थी। वर्तमान में रिव्यू डीपीसी आयोजित हो रही है। ऐसे में प्रार्थीगण पक्षकार होना प्रकट होते हैं। अतः श्री गोपाल लाल मीणा, मदनलाल मीणा व रामकिशन मीणा को अपील में क्रमशः 5, 6 व 7 के द्वारा पक्षकार जोड़ा जाता है।

4. एक अन्य प्रार्थना पत्र उमाकांत व ओमप्रकाश मीणा की ओर से भी प्रस्तुत किया गया है जिसमें भी उपरोक्त प्रकार से ही उन्हें भी पक्षकार जोड़े जाने की प्रार्थना की गई है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण उमाकांत और ओमप्रकाश मीणा को पक्षकार जोड़ना आवश्यक है। अतः उमाकांत और ओमप्रकाश मीणा प्रत्यर्थी संख्या 8 व 9 के रूप में पक्षकार जोड़ा जाता है।

5. अधिवक्ता तनवीर अहमद ने अपने प्रार्थना पत्र में यह भी निवेदन किया है कि ऑल रेवेन्यू एम्पलाईज अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी को भी प्रार्थी पक्षकार के रूप में जोड़ा जाये। अधिकरण के मत में उक्त सोसाइटी राजकीय कर्मचारी नहीं है। प्रस्तुत अपील राजकीय कर्मचारियों की पदोन्नति के संबंध में है। सोसाइटी न तो राजकीय कर्मचारी है और न ही कर्मचारियों की रिव्यू डीपीसी से प्रभावित है। ऐसे में सोसाइटी को पक्षकार के रूप में जोड़ा जाना आवश्यक प्रकट नहीं होता है। अधिवक्ता तनवीर अहमद द्वारा सोसाइटी को पक्षकार के रूप में जोड़े जाने की प्रार्थना खारिज की जाती है।

6. अपीलार्थी नए जोड़े गए पक्षकारों को सम्मिलित करते हुए संशोधित वाद शीर्षक प्रस्तुत करेंगे।

7. राजकीय अधिवक्ता हेमन्त धारीवाल को निर्देश दिये जाते हैं कि वह प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब आवश्यक रूप से 2 सप्ताह में प्रस्तुत करें। पत्रावली वास्ते बहस हेतु दिनांक 23.06.2023 को पेश हो।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)